प्रेस नोट
दिनांक 10.12.2025
जनपद गोण्डा।

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा 03 हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–526/25 धारा 103(1),238ए बीएनएस से संबंधित 03 आरोपी अभियुक्तों– 01. मुन्ना उर्फ इस्तियाक पुत्र मोहम्मद हारुन, 02. मोहम्मद हारुन पुत्र स्व0 शाह मोहम्मद, 03. इम्तियाज पुत्र मोहम्मद हारुन निवासीगण सकरौरा पश्चिमी, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा को कटहरी बगिया, चौधराईन दरगाह के पास स्थित घास–फूस की झोपड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 04.12.2025 को थाना कर्नलगंज क्षेत्रांतर्गत मोहल्ला बम्पुलुस निवासी अकबर अली उर्फ चौधरी (उम्र लगभग 40 वर्ष) का शव खैरुद्दीन शाह कब्रिस्तान के पीछे स्थित खेत में बने कुएँ से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वाड टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी। मृतक की पत्नी श्रीमती नगमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 कर्नलगंज में 04 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु प्र0नि0 कर्नलगंज को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये थे। जिसमें आज दिनांक 10.12.2025 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के उपरान्त दौरान दोषी पाए गए 03 आरोपी अभियुक्तों– 01. मुन्ना उर्फ इस्तियाक पुत्र मोहम्मद हारुन, 02. मोहम्मद हारुन पुत्र स्व0 शाह मोहम्मद, 03. इम्तियाज पुत्र मोहम्मद हारुन निवासीगण सकरौरा पश्चिमी, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा को कटहरी बगिया, चौधराईन दरगाह के पास स्थित घास–फूस की झोपड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पुलिस पूछताछ में अभियुक्त मो० हारुन द्वारा बताया गया कि लगभग दो माह पूर्व अकबर उर्फ चौधरी पुत्र मोहर्रम अली ने उसके सबरू चौराहा स्थित फल के ठेले पर कार्य किया था, परन्तु उसके नशे की लत और चोरी के कारण उसे काम से हटा दिया गया था, जिससे वह मुझसे खुन्नश रखता था और दो बार पहले भी उससे झगड़ा कर चुका था। अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 03.12.2025 को लगभग 06:30 बजे अकबर उर्फ चौधरी पुनः ठेले पर आया, जहाँ जगीर पुत्र हनीफ के साथ ग्राहक को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और उसी दौरान अकबर उर्फ चौधरी ने मुझसे मारपीट की। घटना से क्षुब्ध अभियुक्त ने अपने पुत्रों इन्तिजार, इम्तियाज एवं मुन्ना उर्फ इस्तियाक को बुलाया और चारों व्यक्ति चौधरी को खोजते हुए उसके घर पहुँचे, जहाँ वह नहीं मिला, केवल उसकी पत्नी मिली। अभियुक्त के अनुसार उन्हें जानकारी थी कि चौधरी प्रायः कब्रिस्तान की ओर नशा व जुआ खेलने जाता है, इसलिए वे लोग वहाँ से होकर खेत की ओर बढ़े जहां लगभग 08:45 बजे कनछेद के खेत के पास चौधरी शराब के नशे में मिल गया, जिसे चारों ने पकड़कर गुस्से में मारपीट की तथा कनछेद के खेत में स्थित कुएँ के पास ले जाकर जोर से पटक दिया, जिससे उसका सिर ईंट के बने कुएँ के जगत पर लगा और वह बेहोश हो गया। अभियुक्त के कथनानुसार कुछ समय बाद जब उसे हिलाकर देखा गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसके उपरांत हम चारों ने शव को छिपाने की नीयत से कुएँ में फेंक दिया और खेतों के रास्ते छिपते हुए घर वापस चले आए है।

अभियुक्तगण का नाम पता–

01. मुन्ना उर्फ इस्तियाक पुत्र मोहम्मद हारुन नि0 सकरौरा पश्चिमी, थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।
02. मोहम्मद हारुन पुत्र स्व0 शाह मोहम्मद नि0 सकरौरा पश्चिमी, थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।
03. इम्तियाज पुत्र मोहम्मद हारुन नि0 सकरौरा पश्चिमी, थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–526/25 धारा 103(1),238ए बीएनएस थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र प्रताप राय
02. उ0नि0 मो0 गुफरान,
03. हे0का0 दीपक मिश्रा,
04. का0 हिमांशु प्रजापति,

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 10.12.2025

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को हुई 03 वर्ष का कारावास व रूपये 11,000–11,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–
प्रार्थी पिन्टू तिवारी पुत्र नान्हू तिवारी निवासी ग्राम जोतिया, थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 29.07.2013 शाम करीब 05:30 बजे जमीनी विवाद को लेकर विपक्षी रंजीत पुत्र गुल्ले, प्रहलाद पुत्र खुशीराम, उदय सिंह पुत्र गुल्ले व खुशीराम पुत्र सीताराम मेरे घर पहुँचकर गाली–गलौज करने लगे। मना करने पर चारों ने मुक्का, थप्पड़ व डण्डे से मारपीट की तथा घर के अंदर घुसकर भी हमला किया। मेरी बहन कृष्णावती को भी लाठी से मारकर घायल किया, जिससे उसके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया। शोर होने पर ग्रामीणों के आने पर विपक्षी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में 03 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। आज दिनांक 10.12.2025 को अभियोजक श्री नित्यानन्द यादव, थाना मोतीगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सिविल जज(जू0डी0)/एफ0टी0सी0 द्वितीय श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को दोशसिद्ध करते हुए 03–03 वर्ष का कारावास व 11,000–11,000/–अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है

अभियुक्त का नाम पता–
01. रंजीत सिंह पुत्र गुल्ले नि0 जोतिया राजापुर परसौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
02. प्रहलाद पुत्र खुशीराम नि0 जोतिया राजापुर परसौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
03. उदय सिंह पुत्र गुल्ले नि0 जोतिया राजापुर परसौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–
01. मु0अ0सं0–142/2013, धारा 323,504,506,452 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>साइबर जागरूकता अभियान</u>
<u>दिनांक 10.12.2025</u>

<u>ऑपरेशन "साइबर कवच'' के दृष्टिगत जनपदीय साइबर सेल की टीम द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 10.12.2025 को जनपदीय साइबर सेल की टीम द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स को साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरूक किया गया। जनपदीय साइबर सेल प्रभारी नि0 संजय कुमार गुप्ता व साइबर एक्सपर्ट हरिओम टण्डन द्वारा बच्चों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाए, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। किसी भी प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली–भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, बीमा कम्पनी, नौकरी के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें व अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दे। टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। जनपदीय साइबर सेल टीम छात्र/छात्राओं को <u>NCRP portal- https://cybercrime-gov-in की जानकारी दी तथा यह जानकारी अपने घर पर परिवारजनो व आसपास के लोगो को भी साझा करने हेतु बताया गया।</u>

<u>साइबर सुरक्षा टिप्स–</u>
01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>